

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023

जयपुर दिनांक

12 JUN 2023


::अधिसूचना::

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारिता वाला विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है। उक्त न्यायालय का अधिकारिता क्षेत्र कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा। उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. संख्या 2, जोधपुर प्रकरण)	जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नोट:- वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) जोधपुर का नाम परिवर्तित करते हुए विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) संख्या 1, जोधपुर किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,


(जान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/11/2023/.....974

Date: 27/06/2023

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The District & Sessions Judge, Jodhpur Metro.
3. The Special Judge, NDPS Cases No.1/ 2, Jodhpur
4. The Chief Metropolitan Magistrate, Jodhpur Metro.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.


27.6.2023
REGISTRAR (RULES)